अध्याय-I
प्रस्तावना

1.1 इस रिपोर्ट के सम्बन्ध मे

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (भा नि म ले प) की यह रिपोर्ट 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष में संचार एंव सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सं सू प्रौ मं) भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा तथा उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंर्तगत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा क्षे उ) के मामलों से सम्बन्धित है।

अनुपालन लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाई के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों से संबधित लेन–देनों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए है कि क्या भारत के संविधान एवं लागू विधि, नियमों, विनियमों के प्रावधानों तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एंव निर्देशों का पालन हो रहा है। अनुपालन लेखापरीक्षा में नियमों, विनियमों, आदेशों एंव निर्देशों की जांच भी शामिल है जो उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य तथा विवेक के साथ साथ दिये गये उद्देश्य की प्राप्ति के संबंध में उसकी प्रभावशीलता को निर्धारित करने हेतु आवश्यक है।

लेखापरीक्षायें भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (भा नि म ले प) की ओर से अनुमोदित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की जाती है। ये लेखापरीक्षा मानक उन प्रतिमानों को निर्धारित करते हैं जिनकी लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा करने में अनुसरण करने की अपेक्षा की जाती है और गैर अनुपालन के व्यक्तिगत मामलों के साथ–साथ उन कमजोरियों को सूचित करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय प्रबंधन एंव आतंरिक नियंत्रण की प्रणाली में विद्यमान हैं। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से कार्यपालिका को उपचारी कार्यवाही करने हेतु सक्षम बनाने की अपेक्षा की जाती है, जो संगठन के उन्नत वित्तीय प्रबंधन तथा बेहतर शासन में सहायक हो।

यह अध्याय संचार एंव सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सं सू प्रौ मं) के विभागों एवं संबंधित इकाइयों के संगठनात्मक ढांचे और प्रोफाइल के विवरण तथा साथ ही लेखापरीक्षा की योजना व सीमाओं और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षो के सारांश के साथ–साथ विभागों के व्यय की संक्षिप्त विवेचना प्रस्तुत करता है। **अध्याय II से V** मंत्रालय के अधीन दूरसंचार विभाग (दू वि), डाक विभाग (डा वि), इलैक्ट्रानिक एंव सूचना प्रौद्योगिकी (इ सू प्रौ) विभाग तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) के अनुपालन लेखापरीक्षा से प्राप्त वर्तमान टिप्पणियों/निष्कर्षों से संबंधित है।

1.2 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

भा नि म ले प द्वारा लेखापरीक्षा करने का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 149 एंव 151 तथा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एंव सेवाशर्ते) अधिनियम 1971 से प्राप्त हुआ है। भारत के नि म ले प भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागो के व्यय की लेखापरीक्षा, नि म ले प (क श एंव से श) अधिनियम[1] की धारा 13[2] के अर्न्तगत करते हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा के सिद्धान्त और विधि–तन्त्र भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखा एंव लेखापरीक्षक विनियमावली 2007 में नियत है।

1.3 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

अनुपालन लेखापरीक्षा, नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों में निहित सिद्धान्तों एंव पद्धतियों के अनुरूप संचालित की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया समग्र रूप में मंत्रालय/विभाग तथा उसकी प्रत्येक इकाई में किए गए व्यय, क्रियाकलापो के महत्व/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, समग्र आंतरिक नियंत्रण के निर्धारण तथा पत्रधारकों के हितों पर आधारित जोखिम मूल्यांकन के साथ प्रारम्भ होती है। पूर्व लेखा परीक्षा निष्कर्षो पर भी इस प्रक्रिया में विचार किया जाता है। इस जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाई जाती है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अन्तर्विष्ट करके निरीक्षण प्रतिवेदनो (नि प्र) को इकाई के प्रमुख को जारी किया जाता है। ईकाईयों से निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के एक माह के अन्दर लेखापरीक्षा निष्कर्षो का उत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। उत्तर प्राप्त होने पर उनका विश्लेषण करके लेखापरीक्षा निष्कर्षो का या तो निपटान किया जाता है या अनुपालन हेतु आगे की कार्रवाई को मॉनीटर किया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उदभूत प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षो को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अर्न्तगत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन में सम्मलित करने हेतु तैयार किया जाता है।

1.4 लेखापरीक्षित इकाइयों का प्रोफाइल

1.4.1 दूरसंचार विभाग (दू वि)

दूरसंचार विभाग (दू वि) नीति निर्माण, लाईसेसिंग, बेतार स्पैक्ट्रम प्रबन्धन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रशासनिक मानीटरिंग, उपस्करों के अनुसंधान व विकास तथा मानकीरण/पुष्टिकरण के

[1] नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति व सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971

[2] (i) भारत की समेकित निधि से सभी खर्चे, (ii) आकस्मिकता निधि व लोक लेखा से संबंधित सभी लेन–देन एवं (iii) सभी व्यापार, निर्माण, लाभ व हानि खाते एवं दूसरे सहायक खातो की लेखापरीक्षा

लिए उत्तरदायी हैं। दूरसंचार विभाग विभिन्न दूरसंचार सेवाओं जैसे यूनीफाइड लाईसेसिंग, यूनीफाइड एक्सेस सर्विस (यू ए एस), इंटरनेट और वी सैट सेवाओ व रेडियो कम्यूनिकेशन क्षेत्र में, अर्न्तराष्ट्रीय संगठनों के समन्वय से स्पैक्ट्रम फ्रिक्वैंसी के प्रबन्धन के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी है। यह देश के सभी उपभोक्ताओं के बेतार प्रेषण की मानीटरिंग के जरिए बेतार विनियामक उपाय भी लागू करता है।

दूरसंचार विभाग का प्रमुख सचिव (दू वि) होता है जो दूरसंचार आयोग का चैयरमैन भी होता है। दूरसंचार आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1989 में की गई थी। इसकी स्थापना दूरसंचार क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं के निपटान हेतु भारत सरकार की प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों के तहत की गई थी। आयोग में एक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य जो दूरसंचार विभाग में भारत सरकार के पदेन सचिव होते है और चार अंशकालिक सदस्य, जो कि भारत सरकार के इलैक्ट्रानिक एंव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, औद्योगिक नीति और संवर्धन, आर्थिक मामलों व योजना आयोग के सचिव होते है।

➢ व्यय का विश्लेषण

वर्ष 2011-12 के दौरान तथा उससे पहले के चार वर्षों की दू वि के व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका-1 में दी गई है:

तालिका - 1
दू वि का राजस्व तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व	26729.28	12997.80	15879.49	120547.63	17400.92
व्यय	5256.54	6186.17	11127.30	10370.26	8692.16

(स्त्रोत: दू वि के विनियोजन व वित्त लेखे)

दू वि का राजस्व तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

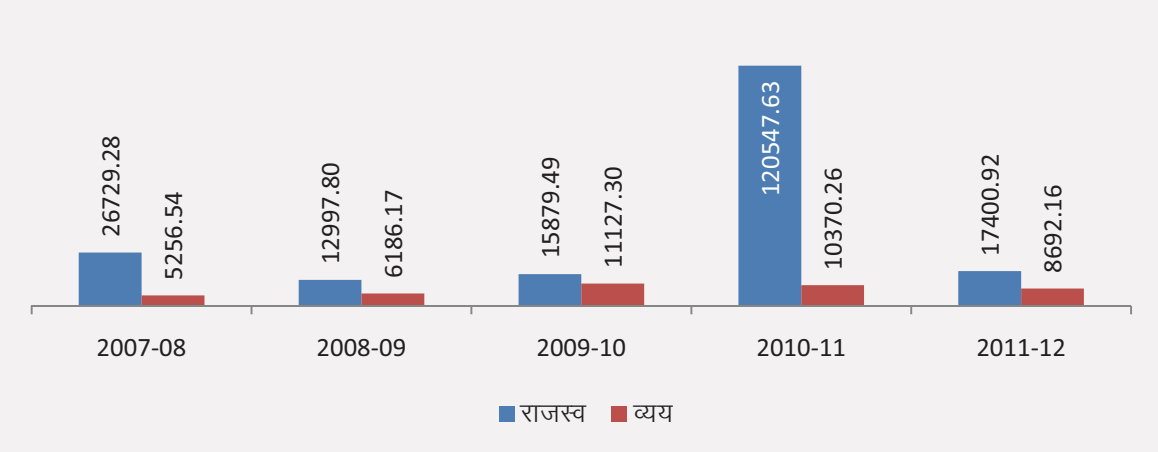

उर्पयुक्त डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 2010-11 में दू वि के राजस्व में वृहत वृद्धि थी जो कि अप्रैल से जून 2010 में 3जी व बी डब्ल्यू ए स्पैक्ट्रम की नीलामी (₹106264.73 करोड़) होने के कारण थी। इसके अतिरिक्त, 2009-10 व 2010-11 को छोड़कर, दू वि का व्यय भी इस अवधि में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के रिपोर्ट की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर पेंशनरी लाभ के भुगतान तथा रक्षा सेवाओं के लिये ओ एफ सी आधारित नेटवर्क हेतु भा सं नि लि के दावों को निपटाने के कारण तेजी से बढ़ा था।

➢ संचार क्षेत्र की संक्षिप्त विवरणिका

दूरसंचार देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित आर्थिक वृद्वि के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरा है। दूरसंचार क्षेत्र में पिछले दशक में असाधारण वृद्वि हुई है तथा 2011-12 के दौरान प्रभावकारी वृद्वि दर थी। भारतीय संचार बाजार विश्व में तीव्रतम बढ़ने वाले बाजारों में से एक है। मार्च 2012 के अंत तक कुल टेलीफोन में निजी क्षेत्र का अंश 86.31 *प्रतिशत* के लगभग था। कुल फोन में बेतार टेलीफोन का अंश 96.62 *प्रतिशत* के साथ वायरलाइन फोन की तुलना में बेतार फोन में भारी वृद्धि हुई।

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान टेलिफोन उपभोक्ताओं की संख्या 300.48 मिलियन से बढ़कर 951.34 मिलियन हो गई, इसमें 216.61 *प्रतिशत* की वृद्वि दर्ज हुई। जबकि बेतार अभिदाता बेस 658 मिलियन तक बढ़ गया था, तार बेस ने 7.24 मिलियन की गिरावट दर्ज की। बेतार खंड ने मार्च 2012 तक 919.17 मिलियन के कुल बेस के साथ बढ़त जारी रखी। देश में समग्र टेलीडेनसिटी ने मार्च 2008 की समाप्ति पर 25.64 *प्रतिशत* से मार्च 2012 के अंत तक 78.66 *प्रतिशत* की वृद्वि दर्शायी। 31 मार्च 2008 को ग्रामीण टेलीडेनसिटी 9.34 *प्रतिशत* थी जो मार्च 2012 में बढ़कर 39.22 *प्रतिशत* हो गई जबकि शहरी क्षेत्रों में यह क्रमशः 63.67 *प्रतिशत* और 169.55 *प्रतिशत* थी। तथापि पिछले पांच वर्षो के दौरान ग्रामीण क्षेत्रो में अभिदाताओं की वृद्धि दर अधिक थी जो शहरी क्षेत्रो में 173.89 *प्रतिशत* की तुलना में 347.53 *प्रतिशत* थी। इंटरनेट व ब्रॉडबैंड अभिदाता 2007-08 में 11.09 मिलियन से बढ़कर 2011-12 में 22.86 मिलियन हो गए। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र के समग्र विकास की स्थिति निम्न तालिका-2 में दी गई है।

तालिका - 2
दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि की स्थिति

वर्ष	अभिदाता (मिलियन में)					टेलीडेनसिटी (प्रतिशतों में)			इंटरनेट व ब्रॉडबैंड अभिदाता (मिलियन में)
	कुल	ग्रामीण	शहरी	वायरलाइन	वायरलैस	समग्र	ग्रामीण	शहरी	
2007-08	300.48	73.92	226.56	39.41	261.07	25.64	9.34	63.67	11.09
2008-09	429.72	120.29	309.43	37.96	391.76	36.98	15.02	88.11	13.54
2009-10	621.28	200.81	420.47	36.96	584.32	52.74	24.29	119.73	16.18
2010-11	846.32	282.24	564.08	34.73	811.59	70.89	33.79	157.32	19.67
2011-12	951.34	330.82	620.52	32.17	919.17	78.66	39.22	169.55	22.86

(स्त्रोत: ट्राई का वार्षिक प्रतिवेदन 2007-08 से 2011-12)

इस क्षेत्र में दूरसंचार सेवा प्रदाताओ द्वारा नियोजित राशि भी 2007-08 में ₹2,19,709 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹3,21,375 करोड़ हो गई। इसी प्रकार पूंजीगत निवेश भी 2007-08 में ₹2,78,599 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹5,17,818 करोड़ हो गया। दूरसंचार क्षेत्र में वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की वित्तीय रूपरेखा का विवरण निम्न तालिका-3 में दिया गया है:

तालिका - 3
दूरसंचार क्षेत्र में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की वित्तीय रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूंजी नियोजित			निवेश			कुल राजस्व
	सार्वजनिक	निजी	कुल	सार्वजनिक	निजी	कुल	
2007-08	1,04,247	1,15,462	2,19,709	1,41,149	1,37,450	2,78,599	1,32,785
2008-09	1,03,856	1,70,651	2,74,507	1,49,201	1,88,587	3,37,788	1,51,693
2009-10	96,103	1,90,734	2,86,837	1,89,615	2,26,814	4,16,429	1,57,985
2010-11	89,040	2,48,643	3,37,683	1,97,332	2,81,946	4,79,278	1,71,719
2011-12	81,548	2,39,827	3,21,375	2,01,582	3,16,236	5,17,818	1,95,442

(स्त्रोत: ट्राई का वार्षिक प्रतिवेदन 2007-08 से 2011-12)

यह देखा जा सकता है कि निजी दूरसंचार कम्पनियों द्वारा नियोजित राशि व निवेश सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कम्पनियों से अधिक है। इसके अतिरिक्त, निजी दूरसंचार कम्पनियों का अभिदाता बेस सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कम्पनियों की तुलना में अभूतपर्वक बढ़ गया है, जैसा कि नीचे ग्राफ में दिया गया है।

अभिदाता बेस में वृद्धि – निजी बनाम सा क्षे उ

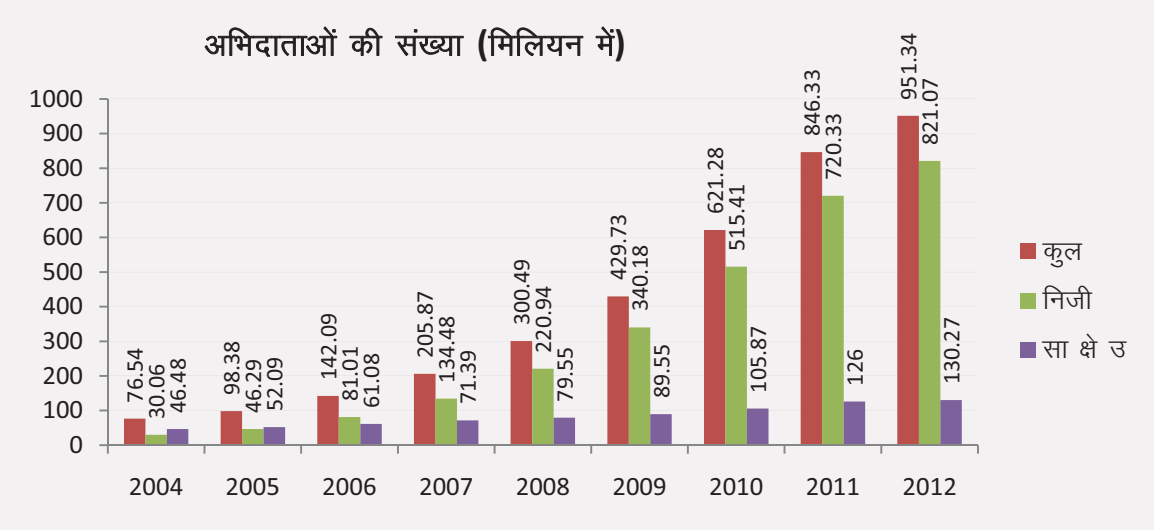

(स्त्रोतः ट्राई का वार्षिक प्रतिवेदन)

➢ क्षेत्र का विनियामक ढांचा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भा दू वि प्रा)

संचार सेवाओं को नियमित करने, संचार सेवाओं हेतु प्रभारों के निर्धारण/पुनरीक्षण सहित संचार सेवाओं को विनियमित करने जो कि पूर्व में केन्द्र सरकार के पास निहित थे, हेतु संसद के अधिनियम द्वारा 20 फरवरी 1997 से प्रभावी भा दू वि प्रा की स्थापना हुई। भा दू वि प्रा का लक्ष्य देश में दूरसंचार सेवाओं की वृद्धि के लिए वातावरण का निर्माण इस तरीके और गति से करना है कि उभरते हुए विश्व सूचना समाज में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में सक्षम हो सके। भा दू वि प्रा के मुख्य उद्देश्यों में एक है कि स्वच्छ और पारदर्शी कूटनीतिक वातावरण उपलब्ध कराना जिसमें कि स्तरीय कार्यक्षेत्र बनाया जा सके तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा में वृद्धि कराई जा सके। भा दू वि प्रा द्वारा जारी निर्देश, आदेश व विनियमन अनेक बड़े विषयों का समावेश करते है जिनमें टैरिफ, अन्तः संयोजन तथा सेवा की गुणता के साथ–साथ प्राधिकार के शासन सहित विभिन्न विषय शामिल हैं।

दूरसंचार विवाद निपटान व अपीलीय ट्रिब्यूनल (टी डी सैट)

भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण (भा दू वि प्रा) अधिनियम को 24 जनवरी 2000 से प्रभावी एक अध्यादेश द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके तहत भा दू वि प्रा से न्यायिक व विवाद कार्यों का उत्तरदायित्व लेने के लिये दूरसंचार विवाद निपटान व अपीलीय ट्रिब्यूनल (टी डी सैट) की स्थापना की गई। टी डी सैट लाइसेंसप्रदाता व लाइसेंसधारक के मध्य, दो अथवा दो से अधिक सेवा प्रदात्ताओं के मध्य, सेवा प्रदात्ता व ग्राहक समूह के मध्य तथा भा दू वि प्रा के किसी भी निर्देश, निर्णय अथवा आदेश के विरूद्ध अपील सुनने व निपटाने के लिये स्थापित किया गया था।

➢ महत्वपूर्ण दू वि यूनिट

विविध दू वि यूनिट में दूरसंचार प्रवर्तन व संसाधन मॉनिटरिंग (टर्म) सैल, नियंत्रक, संचार लेखा (नि सं ले), बेतार आयोजना व समन्वय विंग (बे आ स), दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र (दू अ के), नीति अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार संस्था (एन टी आई), संचार वित्त की राष्ट्रीय संस्था (निक्फ) तथा टेलीमेटिक–विकास केन्द्र (सी–डॉट) जो कि अनुसंधान व विकास (आर एवं डी) यूनिट है, शामिल हैं।

➢ वैश्विक सेवा दायित्व निधि (वै से दा नि)

ग्रामीण दूरभाष को प्रेरित करने के लिए, सरकार ने संसद के एक अधिनियम द्वारा 01 अप्रैल 2002 से वैश्विक सेवा दायित्व निधि (वै से दा नि) बनाया। वै से दा नि की अध्यक्षता, प्रशासक वै से दा निधि द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति निधि के प्रशासन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। उसे वै से दा निधि योजनाओं के क्रियान्वयन व वै से दा नि से निधि के संवितरण के लिए कार्यविधि तैयार करने का अधिकार दिया गया है। प्रशासक का कार्यालय दूरसंचार विभाग के साथ संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है। वै से दा नि द्वारा शुरू की गई विविध योजनाओं में एक परियोजना शामिल है जो कि नेशनल ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क (एन ओ एफ एन) का निर्माण करने हेतु है तथा इस पर कार्य एक नई निगमित कम्पनी जैसे भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है ताकि देश के ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के प्रवेश को सुधारा जा सके। वै से दा नि में कुल ₹43,947.49 करोड़ की राशि एकत्र की गई है जिसमें से ₹22,108.04 करोड़ 31 मार्च 2012[3] तक उपयोग किये गये हैं।

➢ दू वि के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा क्षे उ)

दू वि के प्रशासनिक नियंत्रण में चार निम्न महत्वपूर्ण सा क्षे उ है:

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (म टे नि लि)

1986 में स्थापित एम टी एन एल एक नवरत्न सा क्षे उ है तथा भारत के प्रमुख महानगरों दिल्ली व मुम्बई में दूरसंचार सुविधाऐं प्रदान करता है। एम टी एन एल तार लाइन दूरसंचार सेवा तथा जी एस एम मोबाइल सेवायें दिल्ली व मुम्बई दो महानगरों में प्रदान करने के लिये प्रधान सम्भरक है तथा तीन सक्रिय सेवायें अर्थात् वायस, हाई स्पीड इंटररनेट तथा आई पी टी वी ब्रॉडबैंड नेटवर्क में उपलब्ध कराता है। वर्तमान में, भारत सरकार के पास 56.25 *प्रतिशत* इक्विटी शेयर हैं तथा शेष 43.75 *प्रतिशत* शेयर विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ आई आई), वित्तीय संस्थायें, बैंक, म्यूचल फंड तथा अन्य जिसमें वैयक्तिक निवेशक शामिल हैं, के पास हैं। पिछले वर्ष के टर्न ओवर ₹3,674 करोड़ की तुलना में एम टी एन एल का वित्तीय वर्ष 2011-12 में टर्न ओवर ₹3,374 करोड़ था। एम टी एन एल ने 2011-12[4] में ₹4,110 करोड़ की हानि दर्ज की।

[3] स्त्रोत: दू वि द्वारा दी गई सूचना

[4] स्त्रोत: एम टी एन एल के वार्षिक लेखे (2011-12)

भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि)

भा सं नि लि जिस पर भारत सरकार का पूरी तरह स्वामित्व है, का अक्टूबर 2000 में निर्माण हुआ था, दिल्ली व मुम्बई को छोड़कर सारे देश में दूरसंचार सेवायें प्रदान करता है। भा सं नि लि विविध प्रकार की दूरसंचार सेवायें जैसे लैंडलाइन पर दूरभाष सेवा, डब्ल्यू एल एल व जी एस एम मोबाइल, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, पट्टे पर दिये गये परिपथ व लम्बी दूरी की दूरसंचार सेवा प्रदान करता है। ग्रामीण दूरभाष भा सं नि लि के मुख्य क्षेत्रों में से एक है तथा यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र व आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर देता है। भा सं नि लि का टर्न ओवर ₹27,933 करोड़[5] था तथा 2011-12 में ₹8,851 करोड़ की हानि हुई।

भारतीय दूरभाष उद्योग लिमिटेड (आई टी आई लिमिटेड)

आई टी आई लिमिटेड की 1948 में स्थापना की गई थी ताकि उस समय के दूरसंचार सेवा सम्भरक, दूरसंचार विभाग को दूरसंचार उपस्कर की आपूर्ति कर सके। आई टी आई ने 1948 में बंगलुरू में अपना कार्य शुरू किया था, इसे अन्य क्षेत्रों तक जम्मू व कश्मीर में श्रीनगर, उत्तर प्रदेश में नेनी, रायबरेली तथा मनकापुर तथा केरल में पलक्कड में निर्माण संयंत्र स्थापित करके बढ़ा दिया गया था। विविध क्षेत्रों में संयंत्रों की स्थापना का उद्देश्य न केवल निर्माण क्षमता बढ़ाना अपितु सामाजिक अवसंरचना का विकास भी करना था। कम्पनी ने ₹922 करोड़[6] का कुल टर्न ओवर प्राप्त किया था तथा वर्ष 2011-12 में ₹370 करोड़ की हानि उठाई।

टेलिकॉम्युनिकेशन कंसलटेन्ट इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल)

भारत सरकार द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली टी सी आई एल 1978 में स्थापित की गयी थी इसका मुख्य उद्देश्य दूरसंचार व सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी प्रदान करना था ताकि उचित विपणन रणनीति विकसित करके देशी व विदेशी बाजारों में इसके प्रचालन में श्रेष्ठता प्राप्त की जा सके तथा निरन्तरता के आधार पर आधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त की जा सके। कम्पनी ने वर्ष 2011-12 में ₹680.79 करोड़ टर्न ओवर पर ₹8.03 करोड़[7] का लाभ अर्जित किया था।

1.4.2 डाक विभाग (डा वि)

भारत में डाक तन्त्र, संचार अवसंरचना को लगभग 150 वर्षो से संभाल रहा है और वर्तमान में विश्व में इसका सबसे बडा नेटवर्क है। डाक विभाग (डा वि) द्वारा दी जाने वाली मुख्य सेवाएं नीचे दी गई है:

---

[5] स्त्रोत: भा सं नि लि के वार्षिक लेखे (2011-12)

[6] स्त्रोत: आई टी आई लिमिटेड के वार्षिक लेखे (2011-12)

[7] स्त्रोत: टी सी आई एल के वार्षिक लेखे (2011-12)

संचार सेवाएं–	पत्र, पोस्टकार्ड आदि
परिवहन सेवाएं–	पार्सल, लोजिस्टिक्स
वित्तीय सेवाएं–	बचत बैंक, मनी आर्डर, बीमा
मूल्य वर्द्धित सेवाएं–	स्पीड डाक सेवा, व्यवसायिक डाक और सीधी डाक

वैश्विक सेवा बाध्यता के एक भाग के रूप में, डाकप्रणाली से समस्त देश में सभी उपभोक्ताओं को समर्थनीय मूल्य पर प्रभावी डाक सेवाओं के प्रावधानों को सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है। मेल का प्रेषण तथा सुपुर्दगी डाक विभाग का मुख्य परंपरागत कार्य है। पिछले वर्षों में डा वि द्वारा बल्कमेल, व्यवसायिक डाक तथा स्पीडपोट जैसी कई मूल्यवर्द्धित सेवाओं को आरम्भ किया गया है।

डाकघर बचत बैंक योजना डा वि द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से निष्पादित किया गया एक अभिकरण कार्य है जिसके लिए वित्त मत्रांलय समय–समय पर निर्धारित दरों पर डा वि को पारितोषिक की पूर्ति करता है। अपने अभिकरण कार्यकलापों को करने में डा वि देश में सबसे पुराने तथा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से लघु बचतों के संचालन में मुख्य भूमिका निभाता है।

डाक विभाग जीवन बीमा भी प्रदान करता है। डाक जीवन बीमा (डा जी बी) सरकारी कर्मचारियों को 1884 से जीवन बीमा आवृत प्रदान कर रहा है। 1995 से डा जी बी का एक नई योजना ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत देश की ग्रामीण जनता तक विस्तार किया जा चुका है।

डा वि सेना तथा रेलवे पेंशन धारियों को पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन, कोयला खान कर्मचारियों तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना द्वारा आवृत किए गए उद्योगों के कर्मचारियों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन के संवितरण के काम में भी लगा हुआ है।

संगठनात्मक ढांचा

डाक विभाग (डा वि) संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का एक भाग है। सचिव, डाक विभाग, विभाग का मुख्य कार्यकारी होता है। डाक सेवा बोर्ड विभाग का शीर्ष प्रबन्धन निकाय है जिसमें अध्यक्ष तथा छः सदस्य होते है, जो कार्मिक, प्रचालन, प्रौद्योगिकी, डाक जीवन बीमा, मानव संसाधन विकास व आयोजना का प्रभार संभालते हैं।

बोर्ड, 22 परिमंडलों में मुख्य पोस्टमास्टर जनरल डाक तथा डाक–महानिदेशालय में वरिष्ठ/उप महानिदेशकों की सहायता से देश भर में डाक सेवाओं के प्रबंधन को निर्देशित और पर्यवेक्षित करता है। डा वि में व्यवसाय विकास निदेशालय (व्य वि नि) की स्थापना 1996 में मूल्य वर्द्धित सेवाओं, जैसेः स्पीडपोस्ट, स्पीडपोस्ट पासपोर्ट सेवा, व्यवसायिक डाक, एक्सप्रेस पार्सल डाक, मीडिया डाक, मेघदूत डाक पत्र, बधाई डाक, डाटा पत्र, ई–बिल डाक एवं ई–डाक का प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए हुई थी। डाक जीवन बीमा (डा जी बी) तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा (ग्रा डा जी बी)

योजनाएँ मुख्य महाप्रबंधक, डा जी बी की अध्यक्षता में डा जी बी निदेशालय द्वारा मॉनीटर की जाती है।

वित्तीय निष्पादन

पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान कुल राजस्व प्राप्ति में 13.46 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई जबकि उसी अवधि में राजस्व व्यय में 2.68 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। डाक विभाग में वर्ष 2007-08 से 2011-12 में राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय को निम्न तालिका-4 और ग्राफ में दर्शाया गया है।

तालिका - 4
डाक विभाग की राजस्व प्राप्ति व राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व प्राप्ति	वसूली	राजस्व व्यय	घाटा (2)+(3)-(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007-08	5494.90	266.32	7272.66	1511.44
2008-09	5862.33	300.82	9756.23	3593.08
2009-10	6266.70	438.94	13346.94	6641.30
2010-11	6962.33	485.72	13793.67	6345.62
2011-12	7899.35	458.64	14163.91	5805.92

(स्त्रोत: वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिये डा वि के विनियोजन एवं वित्तीय लेखे)

डाक विभाग के राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय

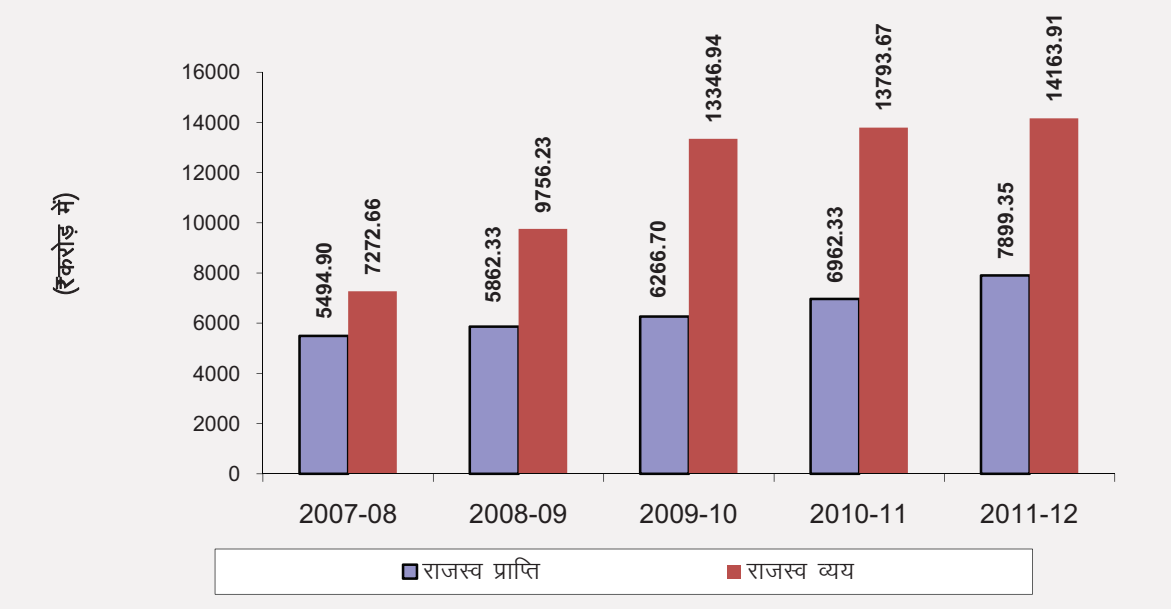

विभाग का अर्जन ''वसूली'' और "राजस्व प्राप्ति" के रूप में होता है। विभाग द्वारा घाटे के मुख्य कारण गैर पुंजीगत व्ययों की वृद्धि थी जो कि एल टी सी पर छुट्टी नगदीकरण, एम ए सी पी, वेतन की सामान्य बढोत्तरी, मंहगाई भत्ता एवं पेंशनरी प्रभार आदि के कारण थी।

2011-12 में डाक सेवाओं[8] पर ₹5,805.92 करोड़ का शुद्ध नुकसान हुआ। 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिये तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है:

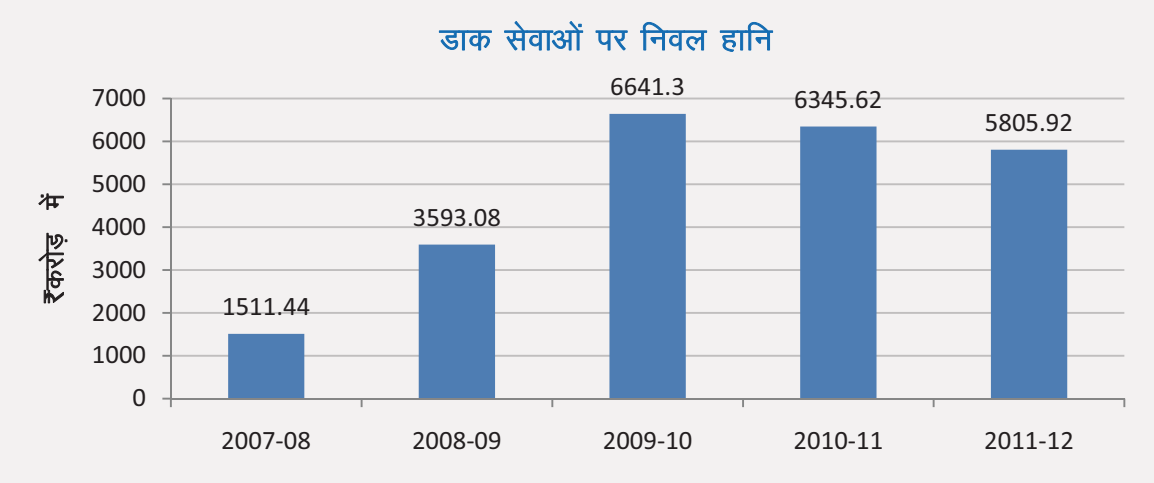

1.4.3 इलेक्ट्रानिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई)

संचार मंत्रालय व सूचना प्रौद्योगिकी के अर्न्तगत डी ई आई टी वाई एक विभाग है जो इलेक्ट्रानिक्स व सू प्रौ क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डी ई आई टी वाई का लक्ष्य भारत को विकसित देश व सशक्त समाज में रूपांतरित करने हेतु ई–विकास करना है। विभाग की अध्यक्षता सचिव द्वारा की जाती है तथा इसमें एक अध्यक्ष द्वारा साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता की जाती है।

डी ई आई टी वाई का मुख्य उद्देश्य ई–सेवायें प्रदान करने, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण तथा आई टी–आई टी ई एस उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु ई उद्योग, ई–इनोवेशन/शोध एवं विकास, ई–लर्निंग, ई–सुरक्षा तथा ई–समावेशन के लिये आधारभूत संरचना प्रदान करने हेतु ई–सरकार की स्थापना करना है ताकि अधिक समावेशी वृद्धि हेतु सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा मिले।

डी ई आई टी वाई का प्रमुख कार्य सूचना व प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स व इंटरनेट, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर उद्योग के विकास में पहल, सू प्रौ तथा सू प्रौ समर्थ सेवाओं व इंटरनेट को बढ़ावा देने तथा अन्य विभागों को ई–गर्वनेन्स, ई अवसंरचना, ई–औषधि, ई–वाणिज्य आदि, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा व सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने, साइबर कानून से संबंधित

[8] निवल हानि की गणना राजस्व प्राप्ति व वसूलियों एवं राजस्व व्यय के बीच अंतर के रूप में की गई थी अर्थात्, {(₹7899.35+ ₹458.64)- ₹14163.91}

मामले, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रशासन तथा अन्य सू प्रौ सम्बन्धित कानून, सू प्रौ में मानकीकरण, जांच व गुणता को बढ़ावा देने तथा सू प्रौ मांग व कार्यो के लिये कार्यविधि का मानकीकरण में सहायता प्रदान करने से संबंधित नीति निर्माण करना है।

➢ भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी का परिदृश्य

वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने विगत दशक में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसने अभिनव परिवर्तन को समर्थ किया तथा उत्पादकता में वृद्वि की है, लोगों व समुदायों को जोड़ा तथा पूरे विश्व में जीवन–स्तर व अवसरों में सुधार कर विश्व का स्वरूप बदल दिया है। वैयक्तिक जीवन के साथ–साथ पारस्परिक संबंध व कार्य में परिवर्तन करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी ने प्रतिस्पर्धा तथा आर्थिक व सामाजिक आधुनिकीकरण को भी बढ़ाया।

डी ई आई टी वाई का वार्षिक प्रतिवेदन यह बताता है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी का वर्तमान परिदृश्य सक्रिय है तथा देश ने इस क्षेत्र में वृहत वृद्वि हासिल की है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र सुदृढ़ व सम्मिलित वृद्वि के प्रमुख संचालकों में से एक रहा है। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अत्यधिक योगदान दिया है। भारत सॉफ्टवेयर तथा सॉफ्टवेयर सेवा क्षेत्र में विश्वव्यापी पावर हाउस बन गया है।

2007-08 से 2011-12 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सू प्रौ–आई टी ई एस (सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवा) उद्योग के उत्पादन तथा वृद्वि की रूपरेखा निम्न ग्राफ में दर्शायी गई है:

इलेक्ट्रॉनिक्स व सू प्रौ उत्पादन

(₹ करोड़ में)

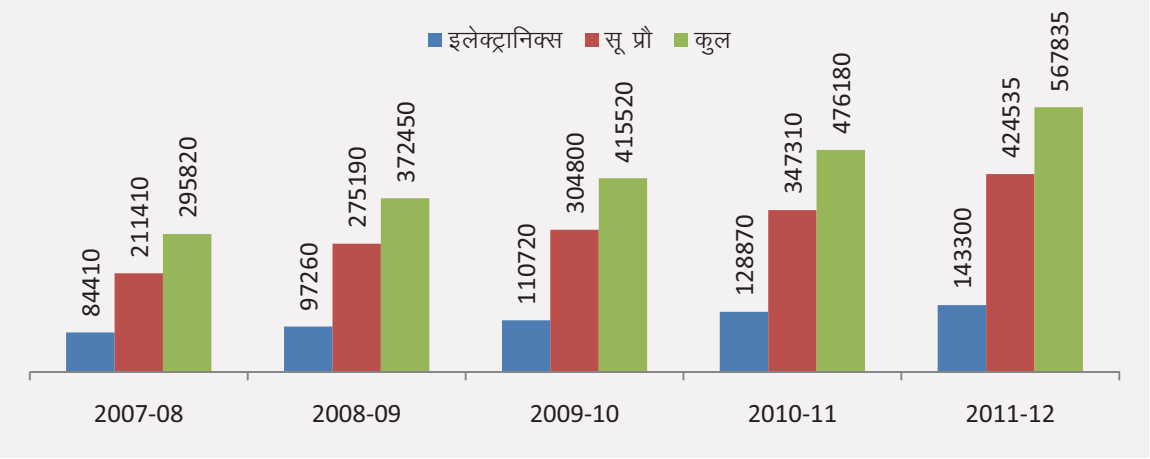

(स्त्रोत: डी ई आई टी वाई का वार्षिक प्रतिवेदन-2012-13)

चार्ट से यह देखा जा सकता है कि इस सेक्टर में 2007-2008 से 2011-12 के दौरान समग्र वृद्वि 91.95 *प्रतिशत* थी तथा 2011-12 के दौरान सू प्रौ उत्पादन इलेक्ट्रानिक और सू प्रौ के कुल उत्पादन का 74.75 *प्रतिशत* था।

भारतीय सू प्रौ उद्योग का भारत के जी डी पी, निर्यात व रोजगार में प्रमुख रूप से योगदान रहा है। विभाग को वर्ष 2012-13 में सू प्रौ आई टी ई एस उद्योग का कुल राजस्व ₹6,93,036 करोड़ तथा इंडियन सॉफ्टवेयर व सर्विसेज एक्सपोर्ट का राजस्व अनुमान ₹5,15,536 करोड़ रहने की उम्मीद है। सू प्रौ क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार उत्पादक बन गया है तथा इसने कई सहायक उद्योगों को सामूहिक रूप से शुरू किया हैं।

अपने कार्यों को करने के लिये डी ई आई टी वाई को भारत सरकार से अनुदान के रूप में बजटीय समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान डी ई आई टी वाई द्वारा प्राप्त अनुदान तथा किया गया व्यय नीचे की तालिका-5 में दिया गया हैं।

तालिका - 5

डी ई आई टी वाई से संबंधित अनुदान के साथ–साथ व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान की राशि	कुल व्यय
2007-08	1536	1295
2008-09	1816	1558
2009-10	2582	1697
2010-11	3719	3129
2011-12	3048	2074
कुल	**12701**	**9753**

(स्त्रोत: वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिए डी ई आई टी वाई का विनियोजन लेखा)

1.5 बजट और व्यय नियंत्रण

दू वि, डा वि तथा डी ई आई टी वाई से संबंधित 2011-12 का विनियोजन लेखा का सारांश आगे की तालिका-6 में दिया गया है:

तालिका - 6

संचार मंत्रालय व सूचना प्रौद्योगिकी के आधीन तीन विभागों के लिये प्राप्त अनुदान व व्यय का विस्तृत विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	अनुदान/विनियोजन (अनुपूरक अनुदान सहित)	कुल व्यय	(-) बचत/ (+) आधिक्य	व्यय नही किये गये प्रावधान की प्रतिशतता
1.	इलेक्ट्रानिक व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	3048.63	2074.58	(-)974.05	31.95
2.	डाक विभाग	14291.66	14374.14	(+) 82.48	-
3.	दूरसंचार विभाग	9773.79	8692.16	(-) 1081.63	11.07

(स्त्रोत: 2011-12 के लिए मंत्रालय/विभाग का विनियोजन लेखा)

➢ वर्ष 2011-12 के लिए डा वि, दू वि व डी ई आई टी वाई लेखों की विनियोजन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

तीनों विभागों के विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिये गये हैः

- वै से दा निधि का अंतशेष ₹23,752.48 करोड़ कम दर्शाया गया
- डा वि ने वित्त मंत्रालय द्वारा विभाग के पुनर्विनियोजन प्रस्ताव अस्वीकार किये जाने के बावजूद सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम योजना–ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सर्विस डिस्चार्ज लाभ योजना के लिए ₹31.68 करोड़ पुनर्विनियोजित किया
- डा वि द्वारा बिना किसी बजट प्रावधान के ₹7.75 करोड़ व्यय किया गया
- पोस्टल सर्विसेज स्टाफ कल्याण बोर्ड में अनुदान ओबजेक्ट शीर्ष 31-सहायता अनुदान सामान्य (डा वि) के बजाय ओबजेक्ट शीर्ष 32 'योगदान' में बुक हुआ।
- अंर्तराष्ट्रीय निकायों के लिए वार्षिक सदस्यता फीस पर व्यय 32-योगदान (डा वि) के बजाय ओबजेक्ट शीर्ष 50-अन्य प्रभार में बुक हुआ
- दू वि द्वारा संसद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना ₹0.07 करोड़ बढ़ा दिये थे
- दू वि ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति से ठीक पहले उ पू क्षेत्र व सिक्किम के लिए अलग से रखे ₹51.58 करोड़ को पेंशन (गैर योजना) हेतु पुनर्विनियोजित किया
- ओबजेक्ट शीर्ष 51 व 52 का उपयोग पूंजीगत प्रकृति (डी ई आई टी वाई) के बजाय राजस्व प्रकृति के व्यय की बुकिंग के लिए किया गया
- डी ई आई टी वाई ने ओबजेक्ट शीर्ष 31 सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत समीर, सी–मैट, सी–डी ए सी, एम एल ए, निकलिट जैसे संगठनों को ₹1948.63 करोड़ की सहायता का अनुदान दिया। परिणामतः ओबजेक्ट शीर्ष 36-सहायता अनुदान वेतन के बजाय ओबजेक्ट शीर्ष 31 में ₹59.07 करोड़ का वेतन घटक गलत बुक किया गया।